रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 795] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 1, 2016/चैत्र 12, 1938
No. 795] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 1, 2016/CHAITRA 12, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2016

का.आ. 1283(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2572(अ), तारीख 14.11.2011 द्वारा राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 758 के 0.000 कि.मी. से 160.000 कि.मी. (राजसमंद–गंगापुर–भीलवाड़ा–लाडपुरा) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण–IV के अधीन डिजाइन, निर्माण, वित, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर, सार्वजनिक–निजी भागीदारी के जरिए राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग–758 के 0.000 कि.मी. से 87.250 कि.मी. तक राजसमंद–भीलवाड़ा सेक्शन (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त सेक्शन' संदर्भित किया गया है) के चार लेन में विकास के लिए 09.11.2012 को प्रस्तुत की गई बोली हेतु मैसर्स भीलवाड़ा राजसमंद टोलवे प्राइवेट लिमिटेड, ''सद्भाव हाउस'', लॉ गार्डन पुलिस चौकी के सामने, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006, गुजरात, भारत (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' संदर्भित किया गया है) के साथ करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त करार' संदर्भित किया गया है)।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिन्हें सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था और जिन्हें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 03.12.2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12.01.2011 और सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12.10.2011, द्वारा संशोधित किया गया था, के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लम्बाई 71.730 कि.मी. हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आधार दर' संदर्भित किया गया है) तथा 15.520 कि.मी. की कुल लम्बाई वाले बाइपासों के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जाएगा और उक्त रियायतग्राही को

वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर, जैसी भी स्थिति हो, अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में यथा–विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक, शुल्क को संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है:

सारणी–1

वाहन का प्रकार	चार अथवा अधिक लेन के रा.रा. सेक्शन के लिए आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क* की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भां.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.व.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजाओं के लिए विनिर्दिष्ट सेक्शन की लम्बाई के लिए, शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा (ओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
18.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (पुराना राज्य राजमार्ग (एस एच)–12 का विद्यमान चैनेज 69.000 कि.मी.) (राजसमंद जिले में रूपा खेड़ा गांव के पास)	43.000	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
78.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (पुराना राज्य राजमार्ग (एस एच)–12 का विद्यमान चैनेज 09.000 कि.मी.) (भीलवाड़ा जिले में मुजरस गांव के पास)	28.73	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए या अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास(सों) के उपयोग हेतु, निम्नलिखित टोल प्लाजा(ओं) पर ऐसे टोल प्लाजा(ओं) के लिए, विनिर्दिष्ट बाइपास(ओं) की लम्बाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना की दर से निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	चैनेज सहित बाइपास का नाम	लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
18.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (पुराना राज्य राजमार्ग (एस एच)–12 का विद्यमान चैनेज 69.000 कि.मी.) (राजसमंद जिले में रूपा खेड़ा गांव के पास)	कुनवारियन गांव बाइपास 20.900 (डिजाइन चैनेज) कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 21.150 कि.मी.) से शुरू होकर 23.350 (डिजाइन चैनेज) कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 23.350 कि.मी.) पर मिलते हुए	2.450	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
18.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (पुराना राज्य राजमार्ग (एस एच)–12 का विद्यमान चैनेज 69.000 कि.मी.) (राजसमंद जिले में रूपा खेड़ा गांव के पास)	पोटलन गांव बाइपास 39.350 (डिजाइन चैनेज) कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 39.600 कि.मी.) से शुरू होकर 41.900 (डिजाइन चैनेज) कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 42.550 कि.मी.) पर मिलते हुए	2.550	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
78.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (पुराना राज्य राजमार्ग (एस एच)–12 का विद्यमान चैनेज 09.000 कि.मी.) (भीलवाड़ा जिले में मुजरस गांव के पास)	करोई गांव बाइपास 66.550 (डिजाइन चैनेज) कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 67.320 कि.मी.) से शुरू होकर 70.150 (डिजाइन चैनेज) कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 70.160 कि.मी.) पर मिलते हुए	3.600	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
78.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज) (पुराना राज्य राजमार्ग (एस एच)–12 का विद्यमान चैनेज 09.000 कि.मी.) (भीलवाड़ा जिले में मुजरस गांव के पास)	पूर गांव बाइपास 80.550 (डिजाइन चैनेज) कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 79.580 कि.मी.) से शुरू होकर 87.470 (डिजाइन चैनेज) कि.मी. पर (विद्यमान चैनेज 86.500 कि.मी.) पर मिलते हुए	6.920	ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

IndiaCode

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष 2015–16 के लिए मासिक पास की दर 230.00 रुपए (दो सौ तीस रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय के समय से एक मास

5. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक या मालिक या प्रभारी व्यक्ति को अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के यांत्रिक वाहन के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अतिरिक्त भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट–प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी–1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना राजमार्ग परियोजना की लम्बाई के पूरे कर लिए गए खण्ड के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से उसे अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधान के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा प्रकाशित किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है शुल्क में पिछली बार के संशोधन की तारीख से 6(छह) महीने की अवधि में कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा.सं. भाराराप्रा/13013/560/सीओ/15–16/जीसी/राजसमंद–भीलवाड़ा सेक्शन–बीओटी]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st April, 2016

S.O. 1283(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 2572(E), dated 14.11.2011, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 0.000 to km 160.000 (Rajsamand-Gangapur-Bhilwara-Ladpura) of National Highway No. 758 in the State of Rajasthan to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement (hereinafter referred to as said agreement) with M/s Bhilwara Rajsamand Tollway Pvt. Ltd., "Sadbhav House" Opp Law Garden Police Chowki, Ellisbridge, Ahmedabad – 380006, Gujarat, India, (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for the bid submitted on 09.11.2012 for the development of Rajsamand – Bhilwara section from km 0.000 to km 87.250 (hereinafter referred to as the "said section") of the NH-758 in the state of Rajasthan to four lane through Public Private Partnership under NHDP Phase-IV on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R. 950(E) dated 03.12.2010, G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011and G.S.R. 756(E) dated 12.10.2011, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 71.730 km for use of four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 15.520 km on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of Commercial Operation (COD) and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km* for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

IndiaCode

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza(s) for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
Km. 18.000 (design chainage) (Existing chainage km 69.000 of old SH-12) (near Rupa Kheda village in Rajsamand district)	43.000	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Km. 78.000 (design chainage) (Existing chainage km 09.000 of old SH-12) (near Mujras village in Bhilwara district)	28.73	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza (chainage)	**Names of Bypass with Chainage**	**Length (in Km.)**	**Rate at which fee is payable**
Km. 18.000 (design chainage) (Existing chainage km 69.000 of old SH-12) (near Rupa Kheda village in Rajsamand district)	Kunwariyan Village Bypass taking off at km. 20.900 (design chainage) (existing chainage km 21.150) and joining at km. 23.350 (design chainage) (existing chainage km 23.350)	2.450	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 18.000 (design chainage) (Existing	Potlan Village Bypass taking off at km. 39.350 (design chainage) (existing	2.550	150% of base rates mentioned

chainage km 69.000 of old SH-12) (near Rupa Kheda village in Rajsamand district)	chainage km 39.600) and joining at km. 41.900 (design chainage) (existing chainage km 42.550)		in Table-1 above
Km. 78.000 (design chainage) (Existing chainage km 09.000 of old SH-12) (near Mujras village in Bhilwara district)	Karoi Village Bypass taking off at km. 66.550 (design chainage) (existing chainage km 67.320) and joining at km. 70.150 (design chainage) (existing chainage km 70.160)	3.600	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km. 78.000 (design chainage) (Existing chainage km 09.000 of old SH-12) (near Mujras village in Bhilwara district)	Pur Village Bypass taking off at km. 80.550 (design chainage) (existing chainage km 79.580) and joining at km. 87.470 (design chainage) (existing chainage km 86.500)	6.920	150% of base rates mentioned in Table-1 above

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 230.00 (Rupees Two Hundred Thirty only) for the year 2015-16 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.
6. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.
7. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.
8. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.
9. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/13013/560/CO/15-16/GC/ Rajsamand-Bhilwara Section - BOT]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.